न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 46/2012

1 गोरा देवी पत्नी रामदेव मृतक व नाम हजब।
2 शिवनारायण पुत्र रामदेव।
3 भागीरथ पुत्र रामदेव।
4 प्रहलाद पुत्र रामदेव।
5 सुधा देवी पुत्री रामदेव।
6 बोदी देवी पुत्री रामदेव।
7 दाखली पुत्री रामदेव।
8 अणची देवी पुत्री रामदेव समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी मीण्डाला तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुरली पुत्र लादूराम।
2 फुलाराम पुत्र प्रभावतराम।
3 भगवाना पुत्र प्रभावतराम।
4 कन्हैयालाल पुत्र प्रभावतराम।
5 मन्नालाल पुत्र प्रभावतराम।
6 धन्नालाल पुत्र प्रभावतराम।
7 श्योराम पुत्र प्रभावतराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी मिण्डाली तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 09.01.2012
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
बसिलसिले दावा अनुवानी मुरली बनाम फुलाराम आदि
दावा संख्या 446/2002 दावा इस्तकरार हक व स्थाई
निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मणसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—21.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 446/2002 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 58,62,63,65,66,69,71,79 तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थित है जो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के पूर्वज दुलाराम के समय से उसके कब्जे काश्त की भूमि रही है जो पक्षकारान की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है पक्षकारान के पूर्वज दुला के दो पुत्र लादू व श्यामलाल हुए जिनमें श्यामलाल के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से उसने अपीलांट संख्या 1 के पति व अपीलांट संख्या 2 लगायत 8 के पिता रामदेव को गोद लिया जो अपने दत्तक पुत्र श्यामलाल के विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से की भूमि बहैसियत खातेदार काश्त करता था। रामदेव की मृत्यु पर अपीलांट उतराधिकार के आधार पर विवादित आराजियात के 1/2 भाग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के खातेदार काश्तकार है व 1/2 भाग की भूमि का बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंट सख्या 1 मुरली सर्वथा गलत दावा मनगढ़त तथ्यों के आधार पर विवादित आराजियात को लादू पुत्र दुला की खातेदारी की बताते हुये 1/3 भाग की स्वंय का तथा 1/3 भाग के रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 जो प्रभात पुत्र लादू के पुत्र है को व 1/3 भाग का अपीलांट के के पति व पिता रामदेव को काश्तकार बताते हुये विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर से दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया। अपीलांट के पति व पिता रामदेव ने अपने आपको 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार बताते हुये जवाब दावा पेश किया व रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7का 1/4 हिस्सा बताया। दौराने दावा अपीलांट के पति व पिता रामदेव का देहान्त होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 मुरली/वादी ने अपीलांट को रामदेव के कायम मुकाम बनाये जिनकी विधिवत तामील करवाये बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करके रेस्पोडेंट/ वादी मुरली का दावा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2012 के द्वारा विरूद्व कानूनी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील नही हुई है। प्रतिवादी संख्या 7 की फौतगी पर उनके कायम मुकाम के नोटिस लौटकर नही आने पर पुन तामील जारी नही की। पत्रावली इन्तजार तामील में चलती रही। इसी दौरान एक पक्षीय कार्यवाही कर साक्ष्य वादी प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। सम्यक तामीली प्रकिया अपनाये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय भी पारित नही किया गया है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर. डी. 1993 पेज 124, आर.आर.डी. 1998 पेज 44, आर.आर.डी. 2019 पेज 449, आर.आर.डी. 2019 पेज 148,500, आर.आर.डी. 1997 पेज 606 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सजरा खानदान, दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पैतृक होना साबित है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन जवाब दावा दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजीनामें के तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार अपीलांट तामील का बिन्दु अपील के स्तर पर नही उठा सकते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील नही हुई है। प्रतिवादी संख्या 7 की फौतगी पर उनके कायम मुकाम के नोटिस लौटकर नही आने पर पुन तामील जारी नही की। पत्रावली इन्तजार तामील में चलती रही। इसी दौरान एक पक्षीय कार्यवाही कर साक्ष्य वादी प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। सम्यक तामीली प्रक्रिया अपनाये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय भी पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर